

**पीपीपी /निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ब्याज दर कार्ड
(6 मार्च 2026 से प्रभावी)**

एमआरएमपी आधार पर; 1 वर्ष के रीसेट के साथ (% प्रति वर्ष)

क्र. सं.	श्रेणी	आईआर1 (प्री-डीसीसीओ) के लिए लागू ब्याज दर
1	सड़क क्षेत्र परियोजनाएँ	
क)	एन्युइटी-लिंकड (एचएएम, आदि)	8.75
ख)	नॉन-एन्युइटी लिंकड (डीबीएफओटी, बीओटी, टीओटी, इत्यादि)	9.00
2	रियल एस्टेट क्षेत्र परियोजनाएं	
क)	किफायती आवास (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास)	8.85
ख)	किफायती आवास, एकीकृत टाउनशिप, वाणिज्यिक रियल एस्टेट - बिक्री मॉडल, लीज मॉडल आदि के अतिरिक्त अन्य आवास परियोजनाएं।	9.10
3	ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाएँ	
क)	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (सौर, पवन और बीईएसएस के साथ उनका हाइब्रिड)	8.75
ख)	ऊर्जा उत्पादन (हाइड्रो)	9.10
ग)	एडवांस/स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा	9.10
घ)	बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (स्टैंडअलोन परियोजनाएँ)	9.10
4	हवाई अड्डा क्षेत्र परियोजनाएँ	9.00

कृप

क्र. सं.	श्रेणी	आईआर1 (प्री-डीसीसीओ) के लिए लागू ब्याज दर
5	बंदरगाह क्षेत्र परियोजनाएँ	9.00

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त दरें मासिक शेष मासिक भुगतान (एमआरएमपी) वित्तपोषण पैटर्न पर आधारित हैं और अन्य वित्तपोषण पैटर्न के लिए दरें सीओआरएफएन(CoRFN) द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- आईआर2 और आईआर3 के लिए ब्याज दर, आईआर1 के लिए लागू ब्याज दर की तुलना में क्रमशः 25 आधार अंक और 50 आधार अंक अधिक है। बाजार परिदृश्य, प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र-विशिष्ट जोखिमों आदि के आधार पर, सीओआरएफएन(CoRFN) द्वारा समय-समय पर अनुशंसित ब्याज दर के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है।
- इंड-एएस के अनुसार यदि किसी उधारकर्ता/परियोजना को चरण 2 श्रेणी में डाउनग्रेड किया जाता है, तो खाते के डाउनग्रेड होने की तिथि से लेकर अपग्रेड होने तक 0.25% का जोखिम शुल्क लगाया जाएगा।
- इंड-एएस के अनुसार यदि किसी उधारकर्ता/परियोजना को चरण 3 श्रेणी (एनपीए) में डाउनग्रेड किया जाता है, तो खाते के डाउनग्रेड होने की तिथि से लेकर अपग्रेड होने तक 0.35% का जोखिम शुल्क लगाया जाएगा।
- डीसीसीओ के पश्चात, उधारकर्ता को वार्षिक आधार पर बाह्य क्रेडिट रेटिंग (ईसीआर) प्राप्त करना और जमा करना आवश्यक होगा। परियोजना की एकीकृत रेटिंग (आईआर) को नवीनतम ईसीआर के साथ निम्नानुसार मैप किया जाएगा:

क्रिसिल/आईसीआरए/केयर/इंडिया रेटिंग्स	आईआर रेटिंग के समतुल्य
एए, एए+, एएए	आईआर1
ए-, ए, ए+, एए-	आईआर2
बीबीबी-, बीबीबी, बीबीबी+	आईआर3
बीबी-, बीबी, बीबी+	आईआर4
बी-, बी, बी+	आईआर5
सी	आईआर6

यदि ऋण की मुद्रा के दौरान किसी उधारकर्ता के आईआर को आईआर 3 से नीचे डाउनग्रेड किया जाता है, तो हडको आईआर3 उधारकर्ता के लिए लागू दरों के अतिरिक्त आईआर4,

कृति

आईआर5 और आईआर6 की एकीकृत रेटिंग के लिए क्रमशः @ 0.25%, 0.50% और 0.75% अतिरिक्त ब्याज दर ले सकता है।

6. सभी परियोजना श्रेणियों के लिए लागू दरों में 0.10 प्रतिशत की कमी की जाएगी।
7. यदि रियल एस्टेट क्षेत्र की परियोजना जीआरआईएचए (GRIHA) रेटेड (5 स्टार) है, तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लागू दरों में 0.05% की कमी की जाएगी।
8. पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) और/या हाइब्रिड (पीएसपी के साथ सौर/पवन) के लिए ब्याज दरें निर्माण चरण के दौरान ऊर्जा उत्पादन (हाइड्रो) परियोजनाओं के लिए लागू ब्याज दरों की तुलना में 25 बीपीएस अधिक होंगी। सेटिस्फेक्ट्री वाणिज्यिक प्रचालन के 6 महीने के पश्चात, इसे ऊर्जा उत्पादन (हाइड्रो) परियोजनाओं के लिए लागू पोस्ट-डीसीसीओ दरों के साथ जोड़ा जाएगा।

कृत

(6 मार्च 2026 से प्रभावी)

आईआर1 (प्री-डीसीसीओ) के लिए

क्र. सं.	श्रेणी	प्रभावी वार्षिक दर
1	सड़क क्षेत्र परियोजनाएँ	
क)	एन्युइटी-लिंकड (एचएएम, आदि)	9.11%
ख)	नॉन-एन्युइटी लिंकड (डीबीएफओटी, बीओटी, टीओटी, इत्यादि)	9.38%
2	रियल एस्टेट क्षेत्र परियोजनाएं	
क)	किफायती आवास (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास)	9.22%
ख)	किफायती आवास, एकीकृत टाउनशिप, वाणिज्यिक रियल एस्टेट - बिक्री मॉडल, लीज मॉडल आदि के अतिरिक्त अन्य आवास परियोजनाएं।	9.49%
3	ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाएँ	
क)	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (सौर, पवन और बीईएसएस के साथ उनका हाइब्रिड)	9.11%
ख)	ऊर्जा उत्पादन (हाइड्रो)	9.11%
ग)	एडवांस/स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा	9.49%
घ)	बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (स्टैंडअलोन परियोजनाएँ)	9.49%
4	हवाई अड्डा क्षेत्र परियोजनाएँ	9.49%
5	बंदरगाह क्षेत्र परियोजनाएँ	9.38%
		9.38%

कृति